न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– श्री रामरख मीना (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या:– 236 / 2016

1. गुरमेल सिंह पुत्र श्री अजायब सिंह जाति–जट सिख निवासी–चन्दडा तहसील व जिला–हनुमानगढ (राज0)
2. सुखजिन्द्र कौर पत्नि हरदेव सिंह जाति–जट सिख निवासी–चन्दडा तहसील व जिला–हनुमानगढ (राज0)

– वादीगण

बनाम्

1. गुरजिन्द्र कौर पत्नि सुखदेव सिंह जाति–जट सिख निवासी–चन्दडा तहसील व जिला–हनुमानगढ (राज0)
2. हरजीत कौर पुत्री अजायब सिंह जाति–जट सिख निवासी–चन्दडा तहसील व जिला–हनुमानगढ (राज0)
3. मनजीत कौर पुत्री अजायब सिंह जाति–जट सिख निवासी–चन्दडा तहसील व जिला–हनुमानगढ (राज0)
4. अमरदास पुत्र धन्नुमल जाति–सिन्धी निवासी–सांभर लेक जयपुर।
5. तुलसां बाई पत्नि चमनदास जाति–सिन्धी निवासी–सांभर लेक जयपुर।
6. यासिन खां पुत्र सुलतान खां जाति–मुसलमान राठ निवासी–चन्दडा तहसील व जिला–हनुमानगढ (राज0)
7. एसबीआई बैंक शाखा हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक
8. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हनुमानगढ जरिये शाखा प्रबन्धक
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

घोषणा एवं विभाजन हेतु वाद

उपस्थित :–

1. श्री कुलदीप सिंह संरा एडवोकेट – वादीगण
2. श्री सन्दीप सिंह सिद्धू एडवोकेट – प्रतिवादीगण 1 ता 3
3. श्री कन्हैयालाल स्वामी एडवोकेट– प्रतिवादी संख्या–7
4. श्री रामनिवास वेदी एडवोकेट – प्रतिवादी संख्या–8
5. राज–पैरोकार

दिनांक 3/3/2017

निर्णय

वाद–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की चक 20 एम.के.एस. खाता संख्या 79/74 में कुल 3.795 है0 में से वादी संख्या 1 के नाम से 10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 110 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से 60 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीसंख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक से चक 19 एमकेएस के खाता संख्या 91/78 में ब.हि.ब. 0.746 है0 व चक 20 एम.के.एस. के खाता संख्या 79/74 में कुल 3.795 है0 में ब.हि.ब. 120 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न है। वादी संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 को यह कृषि भूमि उनकी माता से विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार से यह कृषि भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की जद्दी जायदाद है जिस पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जन्मतः हक व अधिकार है। वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू

परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी संख्या 1 की सगी बहिने है जिन्होंने पूर्व ... घराघरू बंटवारा में मौखिक रूप से अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का त्याग अपने सगे भाई वादी के हक में किया हुआ है। हकत्याग के उपरान्त वादी अपनी कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में उक्त कृषि भूमि को लेकर अच्छी मन्दी के हिसाब से आपस में घराघरू बंटवारा हो चुका है तथा बंटवारा अनुसार प्राप्त अपनी–अपनी कृषि भूमि पर वादीगण शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हक त्याग उपरान्त व घराघरू विभाजन उपरान्त वादी संख्या 1 व 2 के हिस्सा में कृषि भूमि आई है जिसका विवरण निम्नप्रकार है :–

वादी संख्या 1 के हिस्सा में आई कृषि भूमि

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
20 एमकेएस	148/236	2	11,12,13,18,19,20,21,22/प्रत्येक 0.253 है0 1/0.228 गैर मु. 0.025 कुल 2.277 है0 नहरी मय गै.मु.
	148/237	19	

87

तथा वादी संख्या 2 के हिस्से में आई कृषि भूमि

चक नं.	पं.नं.	मु.नं.	किला नं.
20 एमकेएस	148/236	2	3/0.215,8/0.253 है0 नहरी गै.मु. 0.038 है0
19 एमकेएस	148/235	32	18/0.139 है0 19/0.025 है0 22/0.190है0 23/0.253है0 गैर मु. 0.126 है0 कुल 0.733 है0 नहरी मय गै.मु.

वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्तानुसार घराघरू बंटवारा हो चुका है तथा बंटवारा अनुसार हम वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी–अपनी कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे है परन्तु उक्त कृषि भूमि साझा खाते में होने के कारण हमें विभिन्न सरकार द्वारा देय सुविधाओं, बैंक सुविधाओं व कृषि जिन्सों के बेचान आदि में भारी परेशानीयों का सामना करना पडता है। हम वादीगण बंटवारा में प्राप्त उक्त कृषि भूमि को और अधिक उपजाउ व सुविधाजनक बनाना चाहते है जिस हेतु भी हमें परेशानीयों का सामना करना पडता है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जो राजस्व रिकॉर्ड में उक्त कृषि भूमि अपने नाम से दर्ज होने के कारण इसका गलत फायदा उठाते हुए अन्य व्यक्तियों को रहन बैय करने के लिये प्रयासरत है। हमें कृषि भूमि बेचान की धमकीयां देते रहते है। जबकि उक्त कृषि भूमि बंटवारा अनुसार हम वादीगण के कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 3 वाद–पत्र में वर्णित कृषि भूमि को अन्यत्र व्यक्तियों को रहन बैय करने के लिये प्रयासरत है यदि प्रतिवादीगण अपने इस अविधिक व मनमानापूर्ण कृत्य में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। वादीगण अपने साम्पतिक अधिकारों से वंचित हो जावेंगे। जबकि वादीगण का प्रश्नगत् कृषि भूमि पर जन्मतः हक व अधिकार है यदि प्रतिवादी संख्या 01 ता 3 अपने अविधिक व मनमानापूर्ण कृत्य में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों से नहीं आंका जा सकता ऐसी दृष्टि में वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का शाश्वत् व्यादेष प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी अपने नाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की कृषि भूमि को अन्यत्र व्यक्तियों को रहन बैय करने से निषेध रहे। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 3 का यह परम दायित्व है कि वह वाद–पत्र की चरण संख्या 5 अनुसार वादीगण को पूर्व में हुए घराघरू बंटवारा अनुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार होना मानते हुए कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से दर्ज करवा देवें। वादीगण ने प्रतिवादी से निवेदन किया कि वे चलकर वादीगण को वह वाद पत्र की चरण संख्या 5 अनुसार खातेदार काश्तकार होना मानते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवा देवें लेकिन पहले तो प्रतिवादीगण आजकल–आजकल करते रहे अन्त में कल ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया यही वाद कारण है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। लेकिन मौके पर उनके कब्जा काश्त में उक्त खाते में कोई कृषि भूमि नहीं है चक 20 एम.के.एस. के खाता संख्या 79/74 में कुल 3.795 है0 मे से वादी संख्या 1 के नाम से 10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से 110 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से 60 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ब.हि.ब. 120 हिस्सा कृषि भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है इस प्रकार कुल 3.795 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जबकि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बतौर गैर खातेदार दर्ज है जिनका नाम वादीगण कलमजन करवाना चाहते है।

वाद बाबत घोषाणा व विभाजन का है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है इस प्रकार वाद पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 5 अनुसार कृषि भूमि का खाता अलग कायम कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जावें वाद पत्र के साथ चक 20 एम.के.एस. व 19 एम.के.एस. की जमाबन्दियां पेश की है जो शामील मिसल के है।

वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तस्दीक किया जाकर शामील पत्रावली किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा शेष प्रतिवादीगण की तलबी रजिस्ट्रर्ड डाक से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया जो स्वीकार कर अनुमति दी गई वादी अधिवक्ता द्वारा रजिस्ट्रर्ड डाक एडी की रसीदें पेश की गई व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा गया प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की तामील जरिये अखबार से करवाने हेतु वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार किया गया वकील वादी द्वारा अखबार प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी 4 ता 6 को बार–बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 7,8,9 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामील मिसल किया गया। वाद–पत्र का कोई विरोध ना होने से तनकीयत कायम नहीं की गई साक्ष्य वादी में वादी सुरमेल सिंह का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया। वादीगण ने अपने वाद–पत्र के पक्ष में तहरीरी साक्ष्य के तौर पर जमाबंदियों की प्रतियां पेश की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभय पक्ष की बहस सुनी गई वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने के संबंध में राजीनामा पेश कर वाद पत्र की चरण संख्या 5 के अनुसार डिक्री करने की इस्तदुआ की प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा कृषि भूमि बैंक रहन होने के आधार वाद पत्र का विरोध किया है हमारे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। वादीगण के वाद-पत्र में अभिवचन अनुसार वादग्रस्त आराजी दर्ज कागजात है। वादीगण व प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए राजीनामा अनुसार व पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के बाद वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वाद-पत्र की चरण संख्या 5 तथा राजीनामा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को निम्न प्रकार से खातेदार- काश्तकार घोषित किया जाता है -

(क) वादी सं.1 के हक व हिस्सा की कृषि भुमि

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
20 एम.के.एस	148/236	2	11,12,13,18,19,20,21,22/0.253है.प्र.,
	148/237	19	1/0.228 गै.मु. 0.025 कुल 2.277 है.

नहरी मय गै.मु.

(ख) वादी सं. 2 के हक व हिस्सा की कृषि भुमि

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
20 एम.के.एस	148/236	2	3/0.215है. मय गै.मु. 0.038है., 8/0.253है. कुल 0.506 है. नहरी मय गै.मु.
19 एम.के.एस	148/235	32	18/0.139है., 19/0.025है., 22/0.190है., 23/0.253 है., 0.126 गै.मु. कुल 0.733 है. नहरी मय गै.मु.

(ग) प्रतिवादी सं. 1 के हक व हिस्सा की कृषि भुमि

चक नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
20 एम.के.एस	148/236	2	1/.215,2/.215 है गै.मु. 0.076है, 9,10/0.253 है.कुल 1.012 है. नहरी मय गै.मु.
19 एम.के.एस	148/235	32	21/0.013है.,कुल 0.013है. नहरी कृषि भुमि

उक्त कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त राजीनामा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिगरी जारी की जावें। यदि कृषि भूमि बैंक में रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उक्तानुसार ही रकम राज कायम कर अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 3/3/2023 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर सुनाया गया।

(समरथ मीना)
उपखंड अधिकारी,
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official